सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-6137/JH/193/2025-RU-IV

दिनांक : 16 .06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - देवघर,
उपायुक्त कार्यालय,
देवघर, झारखंड 814112
ई-मेल: dc-deo@nic.in

विषय: **आदिवासी जमीन फर्जी ढंग से हड़पने के संबंध में- श्री तपन कुमार हॉसदा, गांव–लकड़ा, पोस्ट- देवपुर, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर (झारखंड) का दिनांक 27.09.2025 का पत्र ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री तपन कुमार हॉसदा,
गांव–लकड़ा, पोस्ट-देवपुर,
थाना-जसीडीह,
जिला-देवघर (झारखंड) - 814142,

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-6137/JH/193/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री तपन कुमार हॉसदा, गांव-लकड़ा, पोस्ट-देवपुर, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, आदिवासी भूमि को कथित रूप से फर्जी ढंग से हड़पने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री तपन कुमार हॉसदा, गांव-लकड़ा, पोस्ट-देवपुर, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.09.2025 के अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके गांव के निवासी श्री आनंद कुमार शर्राफ द्वारा उनकी रैयती भूमि को कथित रूप से फर्जी तरीके से एवं जबरदस्ती हड़प लिया गया है। अभ्यावेदक ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध किया है कि उनकी रैयती भूमि की जांच कर उन्हें पुनः भूमि का वैधानिक कब्जा दिलाया जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 17.10.2025 को उपायुक्त, देवघर (झारखंड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई। सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), देवघर, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जमाबंदी संख्या 2 की लगभग 18 एकड़ भूमि, जो पूर्ववर्ती सर्वे अभिलेखों में उनके पूर्वजों के नाम दर्ज थी, बाद के सर्वे/प्रविष्टियों में जमाबंदी संख्या 6 एवं 7 में स्थानांतरित कर दी गई। उनका कहना था कि पुराने खाता-खतियान को बदलकर भूमि पर अन्य पक्ष का नाम दर्ज किया गया और इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ने बताया कि विवाद मूलतः राजस्व अभिलेखों एवं जमाबंदी प्रविष्टियों से संबंधित है। सुनवाई में यह निर्देशात्मक रूप से कहा गया कि संबंधित राजस्व अभिलेखों, खतियान, नामांतरण एवं जमाबंदी परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमाबंदी संख्या 2 की भूमि किस आधार पर जमाबंदी संख्या 6 एवं 7 में दर्ज की गई।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. जिला प्रशासन/संबंधित राजस्व प्राधिकारी विवादित भूमि से संबंधित सभी मूल एवं परवर्ती सर्वे अभिलेखों, खतियान, जमाबंदी प्रविष्टियों, नामांतरण आदेशों एवं रसीद अभिलेखों की विस्तृत जांच कर यह स्पष्ट करें कि जमाबंदी संख्या 2 की भूमि किस वैधानिक प्रक्रिया के तहत जमाबंदी संख्या 6 एवं 7 में दर्ज की गई।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

ii. जांच के दौरान दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए तथा यदि किसी प्रविष्टि में त्रुटि, अनियमितता या अवैध नामांतरण पाया जाए तो उसे विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार सुधारने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। जांच उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन एवं अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi